प्रेषक

श्रम व समझौता अधिकारी-1,
गुड़गांव ।

सेवा में

उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1,
गुड़गांव ।

क्रमांक   दिनांक

विषय: मै0 फ्लाम प कम्प्री, प्लाट नं0-100, उद्योग विहार, फेज-1, गुड़गांव के प्रबन्धकों द्वारा समझौते की परिपालना ना करने बारे शिकायत ।

*. *****

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

विषय सम्बन्धी में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के प्रबन्धकों व यूनियन के मध्य उप श्रम आयुक्त की उपस्थिति में दिनांक 8-6-07 को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(3) के अन्तर्गत समझौता हुआ था जिसकी परिपालना न करने के सम्बन्ध में दिनांक 5-7-07 को यूनियन की तरफ से एक शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुई । इस शिकायत पर दोनों पक्षों की बैठक बुलायी गयी । बैठक के दौरान प्रबन्धक प्रतिनिधि का यह कहना था कि वह इस सम्बन्ध में कोई ब्यान नहीं देना चाहते बल्कि अपनी लिखित टिप्पणी तीन दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को दे देंगे जिसे उनके ब्यान समझे जाए । जबकि यूनियन की तरफ से उपस्थित श्री सतबीर सिंह यूनियन प्रधान का यह कहना था प्रबन्धक समझौते की परिपालना नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए । इसके अतिरिक्त यूनियन प्रधान का यह कहना था कि वह केवल मालिक से बात करेंगे और प्रबन्धक प्रतिनिधि से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रबन्धक प्रतिनिधि को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है । इस पर प्रबन्धक प्रतिनिधि का यह कहना था कि वह प्रबन्धकों द्वारा अधिकृत किये गये हैं और [illegible] प्रबन्धक अन्य कार्यों में व्यस्त हैं इस लिए यूनियन का यह एतराज ठीक नहीं है ।

उपरोक्त समझौते के सम्बन्ध में यूनियन द्वारा दी गयी शिकायत व प्रबन्धकों द्वारा दी गयी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार टिप्पणी दी जाती है :

......2

धारा-1

इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि पिछले दो साल का रुका हुआ सालाना बढ़ोत्तरी सभी श्रमिकों को उनकी परफॉरमेन्स के आधार पर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों का यह कहना है कि उन्होंने अभीतक श्रमिकों की परफॉरमेन्स का आकलन नहीं किया है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व यूनियन के व्यवहार पर भी ध्यान रखना जरूरी है। यूनियन ने भी इस समझौते की धारा 9 की परिपालना नहीं की है जिसमें यह प्रावधान है कि दोनों पार्टी द्वारा की गयी सभी शिकायतें वापिस ली समझी जाएगी और जिन सम्बद्ध श्रमिकों द्वारा शिकायत की गई है, उसको वापिस लिया जायगा परन्तु यूनियन द्वारा अभीतक यह शिकायत वापिस नहीं ली गयी है। प्रबन्धकों ने इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कई कम्पनियों ने उनके आर्डर बन्द कर दिये हैं और उनके पेमेन्ट बकाया हो गये हैं।

धारा-3

इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि सालाना छुट्टियों की पहले की भांति आठ से बढ़ा कर 10 कर दी जायगी। इस बारे प्रबन्धकों का यह कहना है कि यूनियन ने यह शिकायत समय से पहले कर दी है क्योंकि अभी तक पूरा वर्ष नहीं बीता है, जिस पर यूनियन प्रतिनिधि सहमत था।

धारा-4

इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि बोनस व सालाना यात्रा से सम्बन्धित विवादों को यूनियन से बातचीत उपरान्त सुलझा लिया जायगा। इस बारे प्रबन्धकों का यह कहना है कि इसकी परिपालना से पूर्व यूनियन के व्यवहार को ध्यान में रखना होगा क्योंकि यूनियन ने अभीतक समझौते की धारा 9 की परिपालना नहीं की है, वैसे भी कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।

धारा-6

इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यूनियन के प्रधान श्री सतबीर सिंह व कोषाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार को एक डेढ़ महीने बाद मामला तय होने पर वापिस ड्यूटी पर ले लिए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों

....3

का कहना है कि इस बिन्दु की परिभाषा करने से पूर्व समझौते की धारा 1 व कम्पनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना होगा ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह कहना है कि समझौते की धारा एक में न तो यह प्रावधान है कि कितनी अवधि में श्रमिकों की परफोरमेन्स चार्ट निर्धारित किया जाएगा और परफोरमेन्स का आधार क्या रहेगा । इसके अतिरिक्त समझौते की धारा 5 व 6 भी स्पष्ट नहीं है । जहां तक प्रबन्धकों द्वारा दी गयी टिप्पणी का सम्बन्ध है प्रबन्धकों ने समझौते की धारा एक, पांच व छः तीनों के सम्बन्ध में मुख्यतः यह बिन्दु ही उठाया है कि यूनियन ने अभी तक समझौते की धारा 1 की क्रियान्वना न करके ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया है जिसको ध्यान में रखते हुए समझौते की परिभाषा की जाए ।

प्रबन्धकों द्वारा दी गयी टिप्पणी व समझौते का अवलोकन करने उपरान्त कि दोनों ही पार्टी द्वारा समझौते की परिभाषा नहीं की गयी है और यहां पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि समझौते की धाराएं भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं है इसलिए यह कार्यालय अपनी स्पष्ट सिफारिशें देने में सक्षम नहीं है इसलिए अनुरोध है कि मुख्यालय को सिफारिशें भेजने से पूर्व आप भी अपने स्तर पर दोनों पार्टी की पक्ष सीधे सुन लें ।

भवदीय,

श्रम व समझौता अधिकारी-I,
गुड़गांव ।